गुरू घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)

विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 25.06.2018 का कार्यविवरण

विद्यापरिषद की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 25.06.2018 को सायं 04:00 बजे प्रशासनिक भवन के सभाकक्ष में संपन्न हुई, बैठक के प्रारंभ में कुलसचिव जी ने सभी सदस्यों का स्वागत किया तत्पश्चात् कुलपति महोदया की अनुमति से बैठक प्रारम्भ हुई। बैठक में उपस्थिति निम्नानुसार रही :–

1.	प्रो. अंजिला गुप्ता, कुलपति	अध्यक्ष
2.	प्रो. ए.एस. रणदिवे	सदस्य
3.	प्रो. अनुपमा सक्सेना	सदस्य
4.	प्रो. मनीष कुमार श्रीवास्तव	सदस्य
5.	प्रो. व्ही.डी. रंगारी	सदस्य
6.	प्रो. व्ही.एस. राठौर	सदस्य
7.	डॉ. रेणु भट्ट	सदस्य
8.	प्रो. बी.एन. तिवारी	सदस्य
9.	डॉ. एस.एस. धुरिया	सदस्य
10.	प्रो. एम.के. सिंह	विशेष आमंत्रित
11.	डॉ. ए.के. दीक्षित	विशेष आमंत्रित
12.	प्रो. एल.पी. पटैरिया	विशेष आमंत्रित
13.	प्रो. शैलेन्द्र कुमार, कुलसचिव (कार्यवाहक)	सचिव

निम्मानुसार सदस्य बैठक में उपस्थित नहीं हो सके :–

01 प्रो. पी.के. बाजपेयी
02 डॉ0 एम.सी. राव
03 डॉ. राकेश पाण्डेय

निम्नलिखित विषयों पर चर्चा उपरांत निम्नानुसार निर्णय लिये गये :–

विषय क्र. 01 विद्यापरिषद की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 02.06.2018 के कार्यवृत्त की सम्पुष्टि पर विचार करना।

विद्यापरिषद की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 02.06.2018 के कार्यवृत्त की संपुष्टि की गई।

विषय क्र. 02 CBCS कोर्स के तहत पाठ्यक्रम की पूर्णता (Final Semester) पर 6.00 Grade point में प्रथम श्रेणी (First Division) दिये जाने के संबंध में।

स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया कि CBCS प्रणाली के अंतर्गत ग्रेड पाइंट 6.00 या अधिक प्राप्तांक को प्रथम श्रेणी प्रदान किया जाये तथा 5.99 ग्रेड पाइंट या कम प्राप्तांक को द्वितीय श्रेणी प्रदान की जाये।

समिति ने यह भी निर्णय लिया कि परीक्षा शाखा द्वारा इस संबंध में पूर्व में किये गये कार्यवाही की स्थायी समिति द्वारा पुष्टि की जाये तथा उपरोक्तानुसार प्रावधानों को भूतलक्षी प्रभाव से लागू करने का निर्णय भी स्थायी समिति द्वारा लिया गया।

विषय क्र. 03 **प्री पीएच. डी. कोर्स वर्क (शिक्षा) की Skill Development in Educational Research विषय की उत्तर पुस्तिका के गलत मूल्यांकन होने तथा प्रकरण पर पुनर्विचार कर न्याय प्रदान करने संबंधी।**

स्थायी समिति के समक्ष जांच प्रतिवेदन युक्त बंद लिफाफे को खोला गया तथा जांच प्रतिवेदन का वाचन किया गया। जांच प्रतिवेदन के बिन्दुओं पर चर्चा करने के उपरान्त स्थायी समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि जांच समिति की अनुशंसानुसार छात्रा को एक विशेष अवसर प्रदान करते हुए प्री पीएच.डी. कोर्स वर्क (शिक्षा) की Skill Development in Educational Research पेपर की पुनः परीक्षा करायी जाये एवं छात्रा को इस संबंध में अवगत करा दिया जाये।

समिति ने यह भी निर्णय लिया कि परीक्षा आयोजन के पूर्व छात्रा से इस आशय का शपथ पत्र प्राप्त कर लिया जाये कि छात्रा विगत अवधि (कोर्स वर्क पूर्ण होने के उपरांत अद्यतन) के लिए किसी भी प्रकार के अनुतोष/लाभ की मांग विश्वविद्यालय, न्यायालय इत्यादि संस्थानों से नहीं करेगी।

विषय क्र. 04 **10वें विश्व हिन्दी सम्मेलन के लिए गठित अनुशंसा पालन समिति की दिनांक 23 मई, 2017 को आयोजित 5वीं बैठक के कार्यवृत्त पर अनुवर्ती कार्यवाही के संबंध में।**

स्थायी समिति ने यह अनुभव किया कि यू.जी.सी. से प्राप्त पत्र में उल्लेखित जानकारी स्पष्ट नहीं है, अतः समिति ने निर्णय लिया कि यू.जी.सी. से स्पष्ट जानकारी मंगायी जाये तथा यू.जी.सी. से हिन्दी कार्यालय निदेशालय के स्थापना संबंधी स्पष्ट जानकारी प्राप्त होने के उपरान्त ही विषय प्रस्तुत किया जाये।

विषय क्र. 05 **विश्वविद्यालय छात्रावासों में प्रस्तावित शुल्क संरचना के संबंध में मुख्य छात्रावास अधीक्षक एवं छात्रावास अधीक्षकों की अनुशंसा पर विचार करना।**

स्थायी समिति ने छात्रावासों के अधीक्षकों की अनुशंसाओं (बैठक कार्यवृत्त दिनांक 19.06.2018) पर विचार किया तथा कतिपय संशोधनों, जो कि निम्नानुसार है के साथ प्रस्तावों का अनुमोदन किया :-

1. प्रस्तावित नवीन शुल्क संरचना में सत्र 2017-18 में तथा उससे पूर्व में प्रवेशित छात्रावास में निवासरत् विद्यार्थियों से रूपये 100/- हॉस्टल वार्षिक दिवस के लिए तथा उनको छात्रावास परिचय पत्र के लिए रूपये 50/- अर्थात कुल रूपये 150/- शुल्क लिया जाय। शेष शुल्क पूर्ववत ही रहेगी।
2. सत्र 2018-19 में छात्रावासों में प्रवेशित विद्यार्थियों के लिए प्रस्तावित शुल्क संरचना को यथावत् मान्य किया गया।
3. प्रवेश हेतु प्रस्तावित हॉस्टल आवेदन प्रपत्र में आधार संख्या, छात्रावासी विद्यार्थियों को मेस में खाने की बाध्यता, छात्रावास में विद्यार्थियों द्वारा खाना बनाये जाने को प्रतिबंधित किये जाने एवं सुरक्षा निधि से वसूली तथा व्यक्तिगत एवं सामान्य उत्तरदायित्व निर्धारण हेतु स्थायी समिति की बैठक दिनांक 02.06.2018 में लिये गये निर्णय का समावेश कर लिया जाये।
4. अधीक्षकों द्वारा अनुशंसित सीटों के वितरण पर पुनर्विचार किया जाकर नये सिरे से सीटों का वितरण किया जाये एवं अंतिम रूप देने के पूर्व स्थायी समिति के सदस्यों को अवलोकन कराकर सहमति प्राप्त कर कुलपति महोदया से अनुमोदन प्राप्त कर कार्यवाही की जाये।

उपरोक्त के अतिरिक्त समिति ने यह निर्णय भी लिया कि शेष बिन्दुओं पर प्राप्त अधीक्षकों की अनुशंसाओं (बैठक कार्यवृत्त दिनांक 19.06.2018) का अनुमोदन किया जाये।

उपस्थित सदस्यों एवं अध्यक्ष के प्रति धन्यवाद ज्ञापन के पश्चात् बैठक संपन्न हुई।

कुलसचिव (कार्यवाहक)/सचिव **कुलपति/अध्यक्ष**